



कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

गांधी चौक के पास नया मुख्यालय भवन रायपुर

फोन नं. : 2535780, 90, फैक्स : 0771-2227395, E-mail :- dc_rmc@rediffmail.com

क्र./5083/न.पा.नि./PMAY-HFA/2022

रायपुर, दिनांक 17 / 11 / 2022



// आम सूचना पत्र //

नगर पालिक निगम, रायपुर द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में "मोर मकान-मोर आस" योजना अंतर्गत विज्ञापन क्रमांक 01/2022 दिनांक 18.05.2022 जारी कर कुल 08 स्थलो के लिए 2088 मकानों का ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया गया था। छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 8-4/2020/18 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12.09.2022 अनुसार उक्त विज्ञापन में प्राप्त आवेदनों में पात्र हितग्राहियों की संख्या विज्ञापित आवासों से कम पाई गयी है। वर्तमान में स्थिति निम्नानुसार है:-

सं. क्रं.	परियोजना का नाम	कॉलोनी का नाम	विज्ञापित आवास	प्राप्त आवेदन	
				पात्र	अपात्र
1	1015	दलदल सिवनी	435	271	565
2	899	कचना	232	118	251
3	754	कचना	290	62	124
4	870	कचना	290	129	293
5	1044	कचना	290	61	124
कुल योग			1537	641	1357

उक्त परियोजनाओं हेतु आबंटन पश्चात् शेष बचे आवासों का आबंटन, भारत सरकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के पत्र क्रमांक N-11011/111/2019-HFA-IV-UD (FTS-9081341) दिनांक 21.01.2021 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास मिशन (शहरी) हेतु जारी दिशा-निर्देश के अनुसार पात्र पाये जाने वाले हितग्राहियों को किया जावेगा।

अतः उपरोक्त तालिका के सरल क्रमांक 01 से 05 के अपात्र हितग्राहियों को 15 दिवस का पुनः अपनी पात्रता सिद्ध करने हेतु दावा-आपत्ति पर आमंत्रित किया जा रहा है। अपात्र हितग्राही पुनः दावा-आपत्ति हेतु आवश्यक साक्ष्य दस्तावेजों की मूल एवं छायाप्रति के साथ 15 दिवस के भीतर दिनांक 18.11.2022 से दिनांक 08.12.2022 तक (कार्यालयीन दिवस) कार्यालयीन समय प्रातः 10:00 से सायं 05:30 बजे तक उपस्थित होकर दावा आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् किसी भी प्रकार के दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

नोडल अधिकारी
(PMAY-HFA)

नगर पालिक निगम,
रायपुर (छ.ग.)

//02//

पृ. क्रमांक / 5084 / RMC / PMAY-HFA / 2022 रायपुर, दिनांक 17 / 11 / 2022
प्रतिलिपि:-

1. माननीय महापौर, नगर पालिक निगम, रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर, जिला-रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
4. माननीय भारसाधक सदस्य, नगर पालिक निगम, रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
5. समस्त वार्ड पार्षद
नगर पालिक निगम, रायपुर को सादर सूचनार्थ ।

नोडल अधिकारी
(PMAY-HFA)
नगर पालिक निगम,
रायपुर (छ.ग.)